2

मातृभाषा ही प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्यों?

कृष्ण कान्त शर्मा*

मातृभाषा सीखने, समझने एवं ज्ञान की प्राप्ति में सरलता व सहजता लाती है। मातृभाषा की ध्वनि मधुर लगती है, इसमें लय होती है बच्चा माँ के गीत (लोरी) के माध्यम से भी मातृभाषा सीखता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि यह संस्कृति और जीवन मूल्यों की वाहक भी है। अतः विलुप्त होती संस्कृतियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। संस्कृति के संरक्षण में भाषा के बाद दूसरा स्थान शिक्षा का है। स्वतंत्र भारत में गठित आयोगों ने भी अपनी सिफ़ारिशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफ़ारिश की है। दूसरी भाषा के माध्यम से पढ़ाई करने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। विश्वभर में हुए लगभग 150 अध्ययनों (शोध कार्यों) के निष्कर्ष हैं कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था— "मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि, मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।" भारत के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन आदि ने अपनी शिक्षा मातृभाषा में ही प्राप्त की थी। किसी भी विकसित राष्ट्र का उदाहरण ले लें तो पाएँगे कि वे अपनी भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अनेक शोध के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अपनी मातृभाषा में तीन से चार साल तक प्रारंभिक शिक्षा ले चुका बच्चा दूसरी भाषा भी बेहतर तरीके से सीखता है।

© NCERT not to be republished

भाषा एवं मातृभाषा

भाषा का संबंध मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों से निर्मित सार्थक शब्दों तथा वाक्यों से है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतः समझ सकता है। इसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति, अनुभूति और स्पष्ट समझ को महत्ता दी गई है। जन्म के पश्चात बच्चे अधिकांश समय अपनी माँ के साथ रहते हैं और इस दौरान माँ लाड़-दुलार से बच्चों से बात करती रहती हैं। प्रारंभ में बच्चे शब्द नहीं समझ पाते किंतु आनंद का अनुभव अवश्य करते हैं। धीरे-धीरे शब्दों को सुनकर उनको बोलने लगते हैं। इस प्रकार वे अपने साथ बोली जाने वाली भाषा को समझने लगते हैं। बस, यही भाषा जिसको वे सर्वप्रथम समझते हैं, बोलते हैं, उनकी मातृभाषा बन जाती है। भाषाई विविधता के

* *पूर्व अधिष्ठता,* शिक्षा संकाय, कोटा विश्वविद्यालय एवं *प्राचार्य,* भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (ज़िला सवाई माधोपुर), राजस्थान 322201

बीच हमारे देश में भाषा का विवाद सदैव रहा है। फिर वो चाहे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर रहा हो या हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी को लेकर। भाषा को लेकर विसंगतियाँ भी हैं, जैसे राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली द्वारा मान्यता दी गई है। राजस्थानी भाषा में केवल ऊँट के लिए 400 से अधिक पर्यायवाची हैं। इससे इस भाषा के शब्द सामर्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। देश के कई विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई भी जाती है किंतु आठवीं अनुसूची में इसके शामिल किए जाने का इंतज़ार है। सभी भाषाओं का संबंध बुद्धि से होता है किंतु मातृभाषा का संबंध हृदय से होता है। मातृभाषा की ध्वनि मधुर लगती है, इसमें लय होती है, बच्चा माँ के गीत (लोरी) के माध्यम से भी मातृभाषा सीखता है। हमारे देश में सर्वाधिक 45 प्रतिशत लोगों के बोलचाल की भाषा हिंदी है। दूसरा स्थान बंगाली भाषा का है और तीसरे स्थान पर तेलुगू है।

संविधान एवं आयोग की दृष्टि में शिक्षा का माध्यम

संस्कृति के संरक्षण में भाषा के बाद दूसरा स्थान शिक्षा का है। हमारे देश में शिक्षा मुख्यतः तीन स्तर पर प्रदान की जाती है— प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। इसमें कक्षा 1–5 तक की शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) को शिक्षा की नींव माना जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 350(क) में घोषणा की गई है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। वस्तुतः होना यह चाहिए कि सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए क्योंकि इस स्तर पर शारीरिक विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास पर बल देने की ज़रूरत है न कि विषय ज्ञान पर। सांस्कृतिक मूल्यों में ही जीवन के मूल्य निहित होते हैं। आज हमारे देश में अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने की होड़ लगी हुई है। अमीर हो या गरीब, सभी अपने बच्चों को निजी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में ही पढ़ाना चाहता है क्योंकि समाज की सोच ऐसी बन चुकी है कि जो अंग्रेज़ी जानते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वस्तुतः भारत में अंग्रेज़ी के प्रति आकर्षण की शुरुआत 1833 के आज्ञा पत्र के परिणामस्वरूप हुई। इसी के साथ वर्ग भेद की शुरुआत भी हुई। वर्ष 1882 में प्रथम बार भारतीय शिक्षा पर एक आयोग का गठन किया था जो भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के नाम से जाना जाता था। इस आयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके 20 में से 7 सदस्य भारतीय थे। संभवतः इन 7 सदस्यों के प्रभाव से ही इसकी सिफ़ारिशें भारतीयों के अनुकूल थीं। इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ (प्रांतीय भाषाएँ) करने का सुझाव दिया था। शिक्षा नीति, 1904 में पुनः प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेज़ी हटाने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भी कहा था कि समाज में अंग्रेज़ी का घुन लग गया है। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत बेसिक शिक्षा की रिपोर्ट तथा खैर समिति, 1938 में भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन, 1964–66) ने भी

© NCERT not to be republished

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफ़ारिश की। हालाँकि, मातृभाषा से आयोग का तात्पर्य क्षेत्रीय भाषा था। तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही। वर्ष 2000 में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में प्राथमिक स्तर पर अन्य विषयों के साथ केवल एक भाषा मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) को स्थान दिया। वर्ष 2005 में निर्मित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने भी मातृभाषा के साथ अंग्रेज़ी विषय पर बल दिया। देश में अंग्रेज़ी भाषा सीखने के (पढ़ने और लिखने) प्रति लोगों का रूझान बढ़ रहा है।

प्राथमिक शिक्षा का माध्यम एवं मातृभाषा

विश्व के सभी शिक्षाशास्त्री इस विषय पर एकमत रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही हो। साथ ही विश्वभर में हुए लगभग 150 अध्ययनों (शोध कार्यों) के निष्कर्ष हैं कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा में मातृभाषा के महत्त्व को इंगित किया है। मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूँगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दिए जाने से जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह असह्य है, यह बोझ केवल हमारे बच्चे ही उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी हमारे बच्चों को उठानी पड़ती है। वह दूसरा बोझ उठाने लायक नहीं रह जाते... उनकी खोज करने की शक्ति, विचार करने की ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण क्षीण हो जाते हैं। रवींद्र नाथ टैगोर ने कहा है— "यदि विज्ञान को जन सुलभ बनाना है तो मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए।" भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने तो यहाँ तक कहा कि—

निज भाषा उन्नित अहै, सब उन्नति को मूल
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल

किसी भी विकसित राष्ट्र का उदाहरण ले लें तो पाएँगे कि वे अपनी भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। हमारे देश में भी जनजातीय क्षेत्रों में प्रथम तीन वर्ष उन्हीं की भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 60 भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए यह प्रयास बहुत कम है। अभी भी कश्मीर की जन भाषा तो कश्मीरी है लेकिन वहाँ की शिक्षा का माध्यम उर्दू या अंग्रेज़ी है। मातृभाषा में शिक्षा के संदर्भ में पापुआ न्यूगिनी का उदाहरण उल्लेखनीय है। यह दिल्ली से भी छोटा राष्ट्र है जहाँ लगभग 800 भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ लगभग 400 भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। यूनेस्को इस देश को भाषिक विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है।

अभिमत

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए और इस स्तर पर विषय बोझ न हो इस हेतु केवल एक ही भाषा—मातृभाषा की शिक्षा अन्य विषयों के साथ दी जानी चाहिए। इस स्तर पर शारीरिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास पर बल देना चाहिए न कि विषय ज्ञान पर। मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में शिक्षा देने का अर्थ है, बच्चों की ऊर्जा सोचने-समझने

© NCERT not to be republished

की दिशा में लगाने के स्थान पर रटने में लगाना। परिणामस्वरूप बौद्धिक क्षमता का विकास रुकता है। आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लोगों को तकनीकी का ज्ञान हो अंग्रेज़ी का ज्ञान हो यह तो आवश्यक है, लेकिन यह ज्ञान प्राथमिक स्तर से दिए जाने के विषय में चिंतन आवश्यक है। अनेक शोधों के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अपनी मातृभाषा में तीन से चार साल तक प्रारंभिक शिक्षा ले चुका बच्चा दूसरी भाषा भी बेहतर तरीके से सीखता है। स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष बाद भी अंग्रेज़ी दासता से बाहर नहीं आ पाए हैं और जब तक इससे बाहर नहीं आएँगे तब तक विकसित राष्ट्र में अपने को तब्दील करना कठिन कार्य है, क्योंकि जब स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे तभी विकास करेंगे। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कुछ विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ ड्रेस कोड बदलकर भारतीय परिवेश के अनुरूप कर दिया गया है। हमारी संस्कृति हमारे जीवन मूल्यों, हमारी बोलचाल की भाषा एवं शिक्षा से जुड़ी है। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। यदि सचमुच विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो गंभीरतापूर्वक उन विकसित राष्ट्रों की विशेषताओं को देखना और समझना होगा, साथ ही साथ अपना प्राचीन गौरवशाली अतीत सदैव याद रखना चाहिए। आज हमें ग्लोकल (ग्लोबल + लोकल) बनना होगा। अर्थात् वैश्विक स्तर पर सोचें और स्थानीय परिवेश के अनुरूप कार्य करें। दुनिया की विशेषताओं को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप और स्थानीय विशेषताओं (मातृभाषा एवं संस्कृति) को बनाए रखते हुए अपनाना चाहिए।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

कनक, अतुल. 2017. सांस्कृतिक गौरव बढ़ाती मातृभाषा. *राजस्थान पत्रिका*, नयी दिल्ली संस्करण. 21 फरवरी, 2017.

गांधी, मोहनदास करमचंद. 2008. *मेरे सपनों का भारत*. पृ.180. संग्राहक आर.के. प्रभु, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद.

रामपाल, अमित. 2005. भाषा सहेजती है हमें. *राजस्थान पत्रिका*, नयी दिल्ली संस्करण. 21 फरवरी, 2005.

लाल, रमन बिहारी. 2016. *हिंदी शिक्षण*. रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ.

लाल, आर. बी. एवं कृष्ण कान्त शर्मा. 2012. *भारत में शिक्षा का इतिहास—विकास एवं समस्याएँ*. आर. लाल, मेरठ.

शास्त्री, कमल नाथ. 2015. यही करती है संस्कृति का पोषण. *राजस्थान पत्रिका*, नयी दिल्ली संस्करण. फ़रवरी 2015.

श्रीवास्तव, रश्मि. 2015. शैक्षिक समावेशन के संदर्भ में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, 36(1). पृ. 80. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

https://hi.m.wikibooks.org